

15.5.18

26.4.18

निस्तारण की अग्रिम कार्यवाही हेतु पञ्जावली लोक अदालत कैंप में रखी जाती है। पक्षकारान को नोटिस जारी होकर पञ्जावली मुकदमा कैंप दिनांक 8.6.18 को पेश हो।

डा. साडी

उपखण्ड अधिकारी शिव

8-6-18

पञ्जावली आज मुकदमा कैंप - डा. साडी पेश हुई

रामादेव

वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान ने वादग्रस्त आराजी आपनी सहमति से तहसीलदार गडराराज के समक्ष आपनी सहमति से विभाजन करवा लिया है। अतः इस वाद में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूँ।

वादी को सुना। वादी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो चुका है अतः इस वाद में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से, वाद को करिये दिवो किये जाने के आदेशों दिये जाते ही पञ्जावली जैसल्य शुमार स्पेनम्बर से रम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिव